मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2025 (फाल्गुन 20, 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. बधाई एवं शुभकामनाएं.

आसंदी द्वारा श्री अरूण भीमावद, श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक एवं श्री दिव्यराज सिंह, सदस्यगण विधानसभा को जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

2. प्रश्नोत्तर.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,2,3,4,5,7,10 एवं 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 105 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 134 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. स्वागत उल्लेख.

प्रश्नकाल के दौरान डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री एवं माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की दर्शक दीर्घा में डॉ. महेन्द्र सिंह, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं भाजपा के प्रभारी का दर्शक दीर्घा में उपस्थिति पर स्वागत उल्लेख किया.

4. अध्यक्षीय व्यवस्था.

सदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों की सटीकता विषयक

प्रश्नकाल के दौरान तारांकित प्रश्न संख्या 7 में श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिए गए सुझाव पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि, "माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी का सुझाव विचारणीय है, माननीय सदस्य यदि अधिक लंबे प्रश्नों के स्थान पर क्षेत्रीय जनहित के विषयों पर, सटीक विषय-वस्तु पर प्रश्न लगायेंगे तो विभाग से उपयुक्त जानकारी आ पायेगी और उन पर प्रभावी कार्यवाही भी संभव हो सकेगी लेकिन शासन द्वारा माननीय सदस्यों के प्रश्नों का पूर्ण एवं तत्परता से उत्तर एवं जानकारी देना सुनिश्चित और अधिक करना चाहिए".

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर)** द्वारा,

(क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) की धारा 75-क की अपेक्षानुसार F-3-3-0010-2024-Sec-02-पांच(CT)(08), दिनांक 30 सितम्बर, 2024 एवं

(ख) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्रमांक 16 सन् 1908) की धारा 91 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार F-3-4-0011-2024-Sec-02-पांच(CT)(10), दिनांक 30 सितम्बर, 2024 तथा

(ग) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक CT-8-0009-2023-Sec-1-पांच (CT) (01), दिनांक 10 जनवरी, 2024,

(ii) क्रमांक CT-8-0005-2023-Sec-1-पांच (CT) (02), दिनांक 12 जनवरी, 2024,

(iii) क्रमांक CT-8-0009-2023-Sec-1-पांच (CT) (05), दिनांक 17 जनवरी, 2024,

(iv) क्रमांक CT/8-0002-2024-Sec-1-05 (CT) (03), दिनांक 19 जनवरी, 2024,

(v) क्रमांक एफ-ए-3-33-2017-1-पांच (04), दिनांक 19 जनवरी, 2024,

(vi) क्रमांक CT/8-0003-2024-Sec-1-05 (CT) (08), दिनांक 13 मार्च, 2024,

(vii) क्रमांक CT-8-0004-2024-Sec-1-पांच (CT) (11), दिनांक 13 मई, 2024,
(viii) क्रमांक CT-8-0002-2024-Sec-1-पांच-(CT) (12), दिनांक 13 मई, 2024,
(ix) क्रमांक एफ ए-3-02-2017-1-पांच (13), दिनांक 02 अगस्त, 2024,
(x) क्रमांक एफ ए 3-42/2017/1/पांच(14), दिनांक 08 अगस्त, 2024,
(xi) क्रमांक एफ ए 3-36-2018-1-पांच (15), दिनांक 08 अगस्त, 2024,
(xii) क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच (16), दिनांक 08 अगस्त, 2024,
(xiii) क्रमांक एफ ए 3-35/2017/1/पांच(17), दिनांक 08 अगस्त, 2024,
(xiv) क्रमांक CT-8-0006-2024-Sec-1-पांच (CT) (18), दिनांक 08 अगस्त, 2024,
(xv) क्रमांक CT/8-0007-2024-Sec-1-05 (CT) (19), दिनांक 08 अगस्त, 2024,
(xvi) क्रमांक CT-8-0008-2024-Sec-1-पांच (CT) (20), दिनांक 20 सितम्बर, 2024,
(xvii) क्रमांक CT-8-0007-2024-Sec-1-पांच (CT) (22), दिनांक 04 अक्टूबर, 2024,
(xviii) क्रमांक एफ ए 3-32/2017/1/पांच(23), दिनांक 20 नवम्बर, 2024,
(xix) क्रमांक एफ ए 3-36/2017/1/पांच (24), दिनांक 20 नवम्बर, 2024,
(xx) क्रमांक एफ ए 3-37/2017/1/पांच (25), दिनांक 20 नवम्बर, 2024,
(xxi) क्रमांक एफ ए 3-42/2017/1/पांच (26), दिनांक 20 नवम्बर, 2024,
(xxii) क्रमांक एफ ए 3-63/2017/1/पांच (27), दिनांक 20 नवम्बर, 2024,
(xxiii) क्रमांक एफ ए 3-11/2021/1/पांच (28), दिनांक 20 नवम्बर, 2024,
(xxiv) क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच (29), दिनांक 20 नवम्बर, 2024,
(xxv) क्रमांक CT/8/0007-2024-Sec-1-05 (CT) (30), दिनांक 20 नवम्बर, 2024 एवं
(xxvi) क्रमांक एफ ए 3-47/2017/1/पांच (31), दिनांक 28 नवम्बर 2024 तथा

(घ) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 70-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-
(i) क्रमांक CT/4/2/0001-2024-Sec-1-05 (CT) (06), दिनांक 07 फरवरी, 2024,
(ii) क्रमांक CT-4/2/0001/2023-Sec-1-05 (CT) (07), दिनांक 13 मार्च, 2024,
(iii) क्रमांक CT-4-2-0001-2024-Sec-1-पांच (CT) (09), दिनांक 13 मार्च, 2024 एवं
(iv) क्रमांक CT-4-0002-2022-Sec-1-05 (CT) (10), दिनांक 13 मार्च, 2024, पटल पर रखे गए.

(2) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री** द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखे गए.

(3) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री** द्वारा, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023-24 पटल पर रखे गए.

(4) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री** द्वारा,
(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार –
(i) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 तथा
(ii) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024 (अकादमिक वर्ष 30 जून, 2024 को समाप्त) एवं
(ख) चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) की धारा 36 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला-सतना (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 तथा
(ग) मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 20 सन् 1991) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखे गए.

(5) **श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री संस्कृति (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत)** द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एन एच डी सी लिमिटेड का 24 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखे गए.

(6) **श्री लखन पटेल, राज्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी** द्वारा, मध्यप्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र) का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखे गए.

(7) **श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत)** द्वारा,
(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -
(i) मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल) की 62 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2023-24 एवं

(ii) म.प्र.प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तिम लेखे वर्ष 2023-24 (वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2024) तथा

(ख) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (क्रमांक 38 सन् 2016) की धारा (29) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखे गए.

6. फरवरी, 2024 से दिसम्बर, 2024 सत्र तक के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-3 पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी, 2024 से दिसम्बर, 2024 सत्र तक के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-3 पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

7. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2024 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2024 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

8. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे.

क्र	राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम
1.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2024 (क्रमांक 28 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक-20 सन् 2024
2.	मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 25 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक-1 सन् 2025
3.	मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 29 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक-2 सन् 2025
4.	मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 23 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक-3 सन् 2025
5.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 24 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक-4 सन् 2025
6.	मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 20 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक-5 सन् 2025
7.	मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 21 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक-6 सन् 2025
8.	मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 26 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक-7 सन् 2025
9.	मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 22 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक-8 सन् 2025
10.	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 27 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक-9 सन् 2025

9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025 को सम्पन्न हुई, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव एवं वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर: स्थापन, विचार एवं पारण पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिशें की गई हैं :-

क्रमांक	विषय	आवंटित समय
1.	राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा.	5 घण्टे
2.	वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन,विचार एवं पारणं पर चर्चा.	1 घण्टा

(1) दिनांक 11 एवं 17 मार्च, 2025 की बैठकों में भोजनावकाश न रखा जाए तथा सभा की बैठकें सायं 7.30 बजे तक रखी जाए.

(2) दिनांक 12 मार्च, 2025 को सदन की बैठक भोजनावकाश के पश्चात् अपराह्न 3.00 बजे से पुन: समवेत होने पर राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण की जाए.

(3) दिनांक 13 मार्च, 2025 को आय-व्ययक 2025-26 पर सामान्य चर्चा प्रारंभ की जाए एवं सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.00 बजे तक रखी जाए तथा आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा दिनांक 17 मार्च, 2025 को पूर्ण की जाए.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव एवं वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर: स्थापन, विचार एवं पारण पर चर्चा के लिये समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाईं, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री आतिफ आरिफ अकील, सदस्य ने प्रदेश के निगम मण्डलों आदि में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित न किया जाना।
(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने प्रदेश में गौवंश की रक्षा हेतु कोई समुचित व्यवस्था न होना।
(3) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य ने सिवनी विधान सभा क्षेत्र अतंर्गत नगर पालिका परिषद् की कालोनी में विद्युत की अव्यवस्था।
(4) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र पृथ्वीपुर में मध्यान्ह भोजन वितरण का कार्य स्थानीय ग्राम पंचायतों के निवासियों को न दिया जाना।
(5) श्री अभय मिश्रा, सदस्य ने जिला रीवा एवं जनपद पंचायत सिरमौर की अनुसूचित जनजाति बस्तियों में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना।
(6) श्री विवेक विक्की पटेल, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र वारासिवनी खैरलांजी के ग्राम सुकड़ी से पांचे टोला के जर्जर पुल मार्ग की मरम्मत न कराया जाना।
(7) श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र परसवाड़ा अतंर्गत ग्राम चरेगांव में सेवा सहकारी समिति कर्मचारी द्वारा आत्म हत्या किया जाना।
(8) डॉ. तेजबहादुर सिंह, सदस्य ने खाचरौद नागदा जनपद पंचायत में रिक्त सी.ई.ओ. के पद को न भरा जाना।
(9) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य ने दतिया मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण में गुणवत्ता पूर्ण कार्य न होना।
(10) श्री महेश परमार, सदस्य ने उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में अवैध वसूली।

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

11. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) **श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला**-टीकमगढ़)
(2) **श्री राजन मण्डलोई (जिला**-बड़वानी)
(3) **श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला**-बालाघाट)
(4) **इंजी. हरिबाबू राय (जिला**-अशोकनगर)
(5) **श्री राजेन्द्र भारती (जिला**-दतिया)
(6) **श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला**-छतरपुर)
(7) **श्री हरिशंकर खटीक (जिला**-टीकमगढ़)
(8) **श्री अरविन्द पटैरिया (जिला**-छतरपुर)
(9) **श्री कैलाश कुशवाह (जिला**-शिवपुरी)
(10) **श्री भगवानदास सबनानी (जिला**-भोपाल)
(11) **श्री फूलसिंह बरैया (जिला**-दतिया)
(12) **श्री अभय मिश्रा (जिला**-रीवा)
(13) **श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला**-सिवनी)
(14) **डॉ. सतीश सिकरवार (जिला**-ग्वालियर)
(15) **श्री दिनेश राय 'मुनमुन'(जिला**-सिवनी)

12. ध्यानाकर्षण.

(1) **श्री अजय विश्नोई, सदस्य ने** जबलपुर जिले में धान उपार्जन में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री गोविन्द सिंह राजपूत, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

13. अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ''आज जैसा कि मैंने कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों को भी पढ सुनाया, भोजनावकाश नहीं होगा, भोजन लॉबी में उपलब्ध रहेगा, हम लोग अनुभवी हैं और अपना भोजन सुविधानुसार समय पर प्राप्त कर सकते है.''

14. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) **श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य** ने सिवनी जिले के भीमगढ़ जलाशय से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री तुलसी सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

15. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **श्री हरदीप सिंह डंग, सभापति,** याचिका एवं अभ्यावेदन समिति का कार्यान्वयन से संबंधित चतुर्थ, पंचम, षष्टम् तथा अभ्यावेदनों से संबंधित तैंतीसवां, चौंतीसवां, पैंतीसवां एवं छत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.
(2) **श्री अजय विश्नोई, सभापति,** प्राक्कलन समिति का तृतीय प्रतिवेदन एवं कार्यान्वयन से संबंधित चतुर्थ तथा पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.
(3) **श्री महेन्द्र हार्डिया, सभापति,** पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

16. निर्वाचन.

विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन.

श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव किया -

"यह सभा, उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा, पं.शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल, रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर, क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन तथा क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों में से आठ-आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि इस संबंध में निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 को अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.
2. नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2025 को मध्याह्न 12.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक- 6 में होगी.
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2025 को अपराह्न 5.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है.
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.
5. निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा.

उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र' विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं.

17. वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए 17 मार्च, 2025 को 1 घंटे का समय नियत किया गया.

18. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा.

दिनांक 10 मार्च 2025 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन के निम्नलिखित प्रस्ताव पर (1) श्रीमती अर्चना चिटनीस प्रस्तावक सदस्य ने प्रारंभिक भाषण दिया :-

{सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए}

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.".

सभापति महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में मेरे पास माननीय सदस्यों के संशोधनों की 1076 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उसे अग्राह्य किया गया है. संशोधन बहुत विस्तृत स्वरूप के हैं, इसलिए पूरे संशोधनों को न पढ़कर केवल उनके प्रस्तावकों के नाम और संशोधन क्रमांक ही पढूँगा. जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे उनके संशोधन प्रस्तुत हुए माने जाएंगे निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे. :-

क्र.	सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
1.	श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर	2
2.	श्री उमंग सिंघार	3
3.	श्रीमती अनुभा मुंजारे	4
4.	श्री कैलाश कुशवाह	8
5.	श्री केदार चिडाभाई डाबर	10
6.	श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव	11
7.	डॉ. हिरालाल अलावा	13
8.	श्री प्रताप ग्रेवाल	14
9.	श्री बाला बच्चन	15
10.	श्रीमती झूमा डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी	16
11.	श्री पंकज उपाध्याय	17
12.	श्री सुरेश राजे	18
13.	श्री जयवर्द्धन सिंह	19
14.	श्री सोहनलाल वाल्मीक	20
15.	श्री यादवेन्द्र सिंह "जग्गू भैया"	21
16.	श्री नारायण सिंह पट्टा	23
17.	श्री मधु भाऊ भगत	24
18.	श्री अभय मिश्रा	25
19.	श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे	26
20.	श्री राजन मण्डलोई	27
21.	डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह	30
22.	श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर	31

तत्पश्चात् कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(2) श्री जयवर्द्धन सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(3) श्री शैलेन्द्र जैन
(4) श्री लखन घनघोरिया
(5) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

{सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए}

(6) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(7) श्री अभय मिश्रा

19. बहिर्गमन

श्री उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर सभापति महोदय की व्यवस्था से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

20. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

(8) श्री अनिल जैन कालूहेड़ा
(9) श्री सोहनलाल वाल्मीक
(10) श्री विजय रेवनाथ चौरे
(11) डॉ. योगेश पंडाग्रे
(12) श्री फूलसिंह बरैया
(13) श्री सुरेश राजे
(14) डॉ. अभिलाष पांडेय

{सभापति महोदय (श्री लखन घनघोरिया) पीठासीन हुए}

(15) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी
(16) श्री मधु भाऊ भगत

21. अध्यक्षीय घोषणा

सदन की लॉबी में चाय की व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ''माननीय सदस्यों के लिये चाय की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्य सुविधानुसार चाय ग्रहण करने का कष्ट करें.''

22. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:) (चर्चा अपूर्ण)

(17) श्री राम निवास शाह
(18) श्री साहब सिंह गुर्जर
(19) श्री रजनीश हरवंश सिंह
(20) श्री यादवेन्द्र सिंह
(21) श्री दिनेश गुर्जर

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(22) श्री नारायण सिंह 'पट्टा'
(23) श्री गौरव पारधी
(24) श्री विवेक विक्की पटेल
(25) श्री पंकज उपाध्याय
(26) श्री चैन सिंह वरकडे
(27) श्री बालकृष्ण पाटीदार
(28) श्री प्रताप ग्रेवाल
(29) श्री कैलाश कुशवाह
(30) श्रीमती अनुभा मुंजारे
(31) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे
(32) श्री दिलीप सिंह परिहार

अपराह्न 07.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 (फाल्गुन 21, 1946) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 11 मार्च, 2025